उप—धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—15/2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

(i) मद (i) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,—

(3)	(4)	(5)
"(iक) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के	2.5	"
अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत		
या ओवरहोलिंग की सेवाएं		

- (ii) मद (ii) में, कॉलम (3) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक "और (iiक)" को अंतःस्थापित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.—प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—23/2019 के तहत 6 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 26/2019— राज्य कर (दर) तारीख 6 दिसम्बर, 2019 के द्वारा संशोधित की गई थी।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-3 /2020 dated 13-05-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 2/2020-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 13th May, 2020

No. EXN-F(10)-3 /2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and sub-section (4) of Section 9, sub-section(1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15 and Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.11/2017-Sate Tax(Rate), dated 30th June,

2017, published in Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-15/2017 on 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

(a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	2.5	"

- (b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures "(i)", the word, brackets, and figures "and (ia)" shall be inserted.
- 2. This notification shall come into force with effect from 1st day of April, 2020.

By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No.11/2017-State Tax(Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh on 30th June, 2017 *vide* No. EXN-F(10)-15/2017-Loose and was last amended by notification No. 26/2019- State Tax (Rate), dated the 6th December, 2019 published *vide* number EXN-F(10)-23/2019 on 6th December, 2020.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 3/2020-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 13 मई, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—3/2020.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप—धारा (1) और धारा 15 की उप—धारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश परिषद् की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017—राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—14/2017—लूज़ के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,-

- क. अनुसूची I 2.5% में, क्रम सं. 187 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ख. अनुसूची II 6% में,–